भारत दस रुपये INDIA TEN RUPEES

829

समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क. --I/16 निगरानी   नि 2385-I-16

दिनांक 20-7-16 को श्री एच.वी. दुबे अभि० द्वारा प्रस्तुत।
20-7-16
DO 20/7/16 H.V. Dubey

नारो पुत्र फुन्दी जाति सहर आदिवासी,
निवासी ग्राम कराहल तह.कराहल
जिला श्योपुर म.प्र.

...............निरानीकर्ता / आवेदिका

बनाम

लखन पुत्र गणेश जाति सहरिया
आदिवासी, निवासी ग्राम हथेडी,
तह.कराहल जिला श्योपुर म.प्र.

............गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.रा.सं.1959 की धारा–50 विरूद्ध न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी कराहल जिला श्योपुर के प्र.क. 02/15–16/अ.मा.में पारित आदेश दिनांक 20.05.16

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी पेश है।

....

निगरानी के संक्षिप्त सार

ग्राम कराहल तह.कराहल जिला श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे कमांक 1314/10 रकबा 0.188हे., सर्वे क. 1392/3 रकबा 1.057हे., सर्वे कं. 1394/2 रकबा 0.617हे., सर्वे कं. 1395 रकबा 0.167हे., सर्वे कं. 1396/1 रकबा 0.596हे., सर्वे कं. 1396/2 रकबा 0.428हे., सर्वे कं. 1396/3 रकबा 0.157हे., सर्वे कं. 1396/4 रकबा 0.240हे., सर्वे कं. 1397/1 रकबा 0.219हे., सर्वे कं. 1400/2 रकबा 0.596हे., सर्वे कं. 1400/3 रकबा 0.397हे., सर्वे कं. 1400/4 रकबा 0.167हे., सर्वे कं. 1401/3 रकबा 0.021हे. भूमि निगरानीकर्ता की पैत्रिक भूमि है जो निगरानीकर्ता के पिता फून्दी पुत्र भदई की भूस्वामित्व की भूमि थी। निगरानीकर्ता के पिता फून्दी फोत हो गये है, निगरानीकर्ता की मां नाथीबाई भी फोत हो गई है। संवत 2065 तक के खसरे में उक्त भूमि निगरानीकर्ता के पिता फून्दी के नाम विधिवत दर्ज थी। फून्दी के कोई पुत्र नही था एकमात्र वारिस निगरानीकर्ता नारोबाई ही है। फुन्दी की दुसरी पुत्री कस्तूरी लाऔलाद फोत हो गई। उक्त भूमि

कमंशः............2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.2385-एक/**2016** जिला श्योपुर

नारो विरूद्ध लखन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कराहल जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2015-16/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 20.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	